(2009) 1 एससीआर 842

जीतेंद्र पांचाल

बनाम

खुफिया अधिकारी एनसीबी व अन्य

(2007 की आपराधिक अपील संख्या 1660/2007

3 फ़रवरी 2009

(अल्तमस कबीर एवं मार्कंडेय काटजू, जज)

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 20(2)-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973- धारा 300(1)- कथित तौर पर अपीलकर्ता और अन्य लोगों द्वारा भारत से तस्करी कर लाई गई प्रतिबंधित वस्तु, संयुक्त राज्य अमेरिका में जब्त की गई- अपीलकर्ता को वियना में गिरफ्तार किया गया और शीर्षक प्रत्यर्पित किया गया यूएसए- 21, यूनाइटेड स्टेट्स कोड (यूएससी) नियंत्रित पदार्थ अधिनियम के तहत 54 महीने की सजा से दोषी ठहराया गया- सजा काटने के बाद, अपीलकर्ता को भारत भेज दिया गया जहां से उसे गिरफ्तार कर लिया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया- नारकोटिक्स

कंट्रोल ब्यूरो द्वारा अपीलकर्ता के खिलाफ शिकायत- अपीलकर्ता की यह दलील कि भारत में उसके खिलाफ कार्यवाही दोहरे खतरे के बराबर होगी -अवधारित किया, मान्य नहीं- जिन अपराधों के लिए अपीलकर्ता पर मुकदमा चलाया गया और उसे अमेरिका में दोषी ठहराया गया और जिनके लिए उस पर भारत में मुकदमा चलाया जा रहा था, वे अलग और भिन्न थे और इसलिए, या तो सीआरपीसी की धारा 300(1) या संविधान की धारा 20(2) के प्रावधानों को लागू करें-अपीलकर्ता पर संयुक्त राज्य अमेरिका में नियंत्रित पदार्थ को वितरित करने के इरादे से रखने की साजिश के आरोप में मुकदमा चलाया गया था, जबकि भारत में उस पर मुकदमा। नेपाल से भारत में प्रतिबंधित सामग्री के आयात और उसे अमेरिका में बिक्री के लिए निर्यात करने से संबंधित अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा रहा था- जबकि आरोपों के पहले भाग में धारा 846, सपठित धारा 841 शीर्षक 21 यूएससी नियंत्रित पदार्थ अधिनियम वाला भाग शामिल था, जबकि बाद वाला भाग एनडीपीएसे अधिनियम के तहत अपराध भारत में विचारणीय और दंडनीय था- स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985- ऐसे.ऐसे. 29, 20, 23, 27 ए, 24 और/डब्ल्यू धारा 8(सी), 12-दंड संहिता, 1860-ऐसेऐसे.3 और 4-आपराधिक कानून- दोहरा ख़तरा। अमेरिका में हशीश की एक खेप पकड़ी गई। अपीलकर्ता और दो अन्य द्वारा कथित तौर पर भारत से बाहर तस्करी की गई। अपीलकर्ता को वियना, ऑस्ट्रिया में गिरफ्तार किया गया और संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्यर्पित किया गया

और उसके बाद मिशिगन, अमेरिका में जिला न्यायालय के समक्ष मुकदमा चलाया गया। नियंत्रित पदार्थों को वितरित करने के इरादे से रखने की साजिश के आरोप में दोषी ठहराए जाने पर, जो शीर्षक 21, संयुक्त राज्य कोड (यूएससी) नियंत्रित पदार्थ अधिनियम की धारा 846 के तहत अपराध है, अपीलकर्ता को कुल 54 माह के लिए कारावास की सजा सुनाई गई थी। उपरोक्त सजा काटने के बाद, अपीलकर्ता को भारत निर्वासित कर दिया गया और नई दिल्ली पहुंचने पर, उसे एनसीबी के अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। विशेष न्यायाधीश, मुंबई ने अपीलकर्ता के इस तर्क को खारिज कर दिया कि भारत में उसके खिलाफ कार्यवाही दोहरे खतरे के बराबर होगी। एनसीबी ने अपीलकर्ता के खिलाफ मुंबई के विशेष न्यायाधीश की अदालत में शिकायत दर्ज की।

अपीलकर्ता ने उक्त शिकायत को रद्द करने की प्रार्थना करते हुए आपराधिक रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि जिन अपराधों के लिए अपीलकर्ता पर भारत में आरोप लगाए गए थे, वे उन अपराधों से पूरी तरह से भिन्न थे जिनके लिए उस पर अमेरिका में आरोप लगाए गए थे और दंडित किया गया था। उच्च न्यायालय ने माना कि केवल इसलिए कि तथ्यों का एक ही सेट भारत में एनडीपीएसे अधिनियम के तहत और संयुक्त राज्य अमेरिका

में इसके ड्रग कानूनों के तहत विभिन्न अपराधों को जन्म देता है, विशेष न्यायाधीश, मुंबई को उन मामलों से निपटने से नहीं रोका जा सकता है जो इसके प्रावधानों को आकर्षित करते हैं। वर्तमान मामले के तथ्यों में स्थानीय कानून और दोहरे खतरे के सिद्धांत का अनुप्रयोग उपलब्ध नहीं था। इसलिए वर्तमान अपील।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया।

1. जिस अपराध के लिए अपीलकर्ता को संयुक्त राज्य अमेरिका में दोषी ठहराया गया था वह उस अपराध से बिल्कुल भिन्न और अलग है जिसके लिए उस पर भारत में मुकदमा चलाया जा रहा है। जिस अपराध के लिए अपीलकर्ता पर संयुक्त राज्य अमेरिका में मुकदमा चलाया गया था, वह उसे वितरित करने के इरादे से नियंत्रित पदार्थ रखने की साजिश के आरोप के संबंध में था, जबकि अपीलकर्ता पर भारत में प्रतिबंधित सामग्री के आयात से संबंधित अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा रहा है। नेपाल भारत में और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में बिक्री के लिए निर्यात कर रहा है। जबकि आरोपों का पहला भाग शीर्षक 21 यूएससी नियंत्रित पदार्थ अधिनियम की धारा 841 के साथ पठित धारा 846 के प्रावधानों को आकर्षित करेगा, बाद वाला भाग, एनडीपीएसे अधिनियम, 1985 के तहत अपराध होने के कारण, विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए, भारत में विचारणीय और दंडनीय होगा। आईपीसी की धारा 3 और 4 के प्रावधानों

को सामान्य खण्ड अधिनियम की धारा 3(38) के साथ पढ़ें, जिसे संविधान के अनुच्छेद 367 के आधार पर समान मामलों में लागू किया गया है। जिन अपराधों के लिए अपीलकर्ता पर संयुक्त राज्य अमेरिका में मुकदमा चलाया गया और उसे दोषी ठहराया गया और जिनके लिए अब भारत में उस पर मुकदमा चलाया जा रहा है, वे भिन्न और अलग हैं और इसलिए उन पर सीआरपीसी की धारा 300(1) या संविधान के अनुच्छेद 20(2) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।) (पैरा 26) (856-एच; 857-ए-डी)

2. कोई भी अपीलकर्ता के इस तर्क से सहमत नहीं हो सकता है कि उस अपराध के अलावा जिसके लिए अपीलकर्ता पर संयुक्त राज्य अमेरिका में मुकदमा चलाया गया था और उसे दोषी ठहराया गया था, उस पर उन अपराधों के लिए भी संयुक्त राज्य अमेरिका में मुकदमा चलाया जा सकता था जो एनडीपीएसे अधिनियम 1985 के तहत भी विचारणीय थे, क्योंकि इसकी सामग्री शीर्षक 21 यूएससी नियंत्रित पदार्थ अधिनियम के प्रावधानों से भिन्न है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर नियंत्रित पदार्थों के कब्जे और वितरण से संबंधित है। दूसरी ओर, भारतीय दंड संहिता की धारा 3 और 4 के प्रावधान वर्तमान स्थिति जैसी स्थिति में उपयुक्त होंगे। उक्त दो प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि भारत से बाहर किए गए किसी भी अपराध के लिए किसी भारतीय कानून के तहत मुकदमा चलाने वाले व्यक्ति पर संहिता के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए

कि संहिता के प्रावधान होंगे। साथ ही इस संहिता के प्रावधान उस अपराध पर भी लागू होंगे, जो कि भारत के किसी नागरिक द्वारा भारत के भीतर या बाहर किया है।

[पैरा संख्या 27 और 28] [857-E-F; 858-D]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार- आपराधिक अपील संख्या 1660/2007

उच्च न्यायालय, बम्बई के आराधिक रिट याचिका नंबर 1038/2007 मे आदेश एवं निर्णय दिनांक 19.09.2007 से।

के.टी.ऐसे. तुलसी, शेखर नफाडे, वी. हरि पिल्लई ऋषि मल्होत्रा, प्रेम मल्होत्रा, अयाज खान, ई.सी. अग्रवाल, महेश सी. अग्रवाल, ऋषि अग्रवाल, अमित शर्मा, संजय खर्डे, रवींद्र केशवराव अडसुरे, नरेश कौशिक, संजीव के. भारद्वाज और ऐसे.एन. डी टाईडन-पक्षकारो की और से उपस्थित।

न्यायालय का निर्णय पारित किया गया।

अल्तमस कबीर, जज

1. यह अपील एक दिलचस्प कानूनी पहेली उठाती है जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के कानून, जिसे इसके बाद 'यूएसए' कहा जाएगा, और भारत में मौजूद घरेलू कानून शामिल हैं। विवाद के केंद्र में भारत के

संविधान के अनुच्छेद 20(2) और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 300(1) के अर्थ में दोहरे खतरे की अवधारणा है, जिसे इसके बाद 'संहिता' के रूप में जाना जाएगा।

2. इस अपील में उठाए गए सवालों पर विचार करने के लिए, उस तथ्यात्मक पृष्ठभूमि को संक्षेप में बताना आवश्यक होगा जिसमें वे उठते हैं।

3. 17 अक्टूबर, 2002 को अमेरिकी ड्रग प्रवर्तन एजेंसी के अधिकारियों ने नारकोटिक्स ब्यूरो, भारत के अधिकारियों के साथ मिलकर अमेरिका के न्यूयार्क में हशीष की 565.2 किलोग्राम के बराबर 1243 पाउंड की एक खेप जब्त की। जांच के दौरान, ऐसा प्रतीत होता है कि निरंजन शाह और अपीलकर्ता भारत से संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में हशीश की तस्करी में लगे हुए थे और जब्त किए गए मादक पदार्थ को अपीलकर्ता और उक्त निरंजन शाह के साथ भारत से बाहर तस्करी कर लाया गया था। अन्य व्यक्ति किशोर। अपीलकर्ता को 5 दिसंबर, 2002 को ड्रग एन्फोर्समेंट एजेंसी, यूएसए के अधिकारियों द्वारा ऑस्ट्रिया के वियना में गिरफ्तार किया गया था और उसे यूएसए में प्रत्यर्पित किया गया था। इसके तुरंत बाद, 25 मार्च, 2003 को, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के उप महानिदेशक, जिसे इसके बाद एनसीबी कहा जाएगा, ने संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा किया और अपीलकर्ता का बयान दर्ज किया। इसके बाद, 9 अप्रैल, 2003 को एनसीबी के अधिकारियों ने निरंजन शाह, किशोर जोशी और इरफान

गज़ाली को भारत में गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ भारत में मुकदमा चलाया गया। 5 सितंबर, 2003 को, एनसीबी द्वारा विद्वान विशेष न्यायाधीश, मुंबई के समक्ष निरंजन शाह, किशोर जोशी और दो अन्य के खिलाफ धारा 29/20/23/27ए/24 सहपठित धारा 8(सी)/12 स्वापक औषधियाँ एवं मनः प्रभावी अधिनियम, 1985 के तहत एक शिकायत दर्ज की गई थी। उपर्युक्त घटना के संबंध में, स्वापक औषधियाँ एवं मनः प्रभावी अधिनियम, 1985 को इसके बाद 'एनडीपीएस एक्ट के रूप में जाना जाएगा। जबकि उक्त निरंजन शाह और अन्य के खिलाफ मुंबई में विद्वान विशेष न्यायाधीश के समक्ष कार्यवाही की जा रही थी, अपीलकर्ता, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्यर्पित किया गया था, पर मामला संख्या 04 सीऔर 80571-1 में मिशिगन, संयुक्त राज्य अमेरिका में जिला न्यायालय के समक्ष मुकदमा चलाया गया था। नियंत्रित पदार्थों को वितरित करने के इरादे से रखने की साजिश के आरोप में दोषी ठहराए जाने पर, जो शीर्षक 21, यूनाइटेड स्टेट्स कोड (यूएससी) नियंत्रित पदार्थ अधिनियम की धारा 846 के तहत अपराध है, अपीलकर्ता को 27 जून, 2006 को कुल 54 महीने की अवधि के लिये कारावास की सजा सुनाई गई थी। उपरोक्त सजा पूरी करने के बाद, अपीलकर्ता को 5 अप्रैल, 2007 को भारत निर्वासित कर दिया गया। और नई दिल्ली पहुंचने पर, उसे एनसीबी के अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और मुंबई ले जाया गया और 10 अप्रैल, 2007

को विद्वान मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया

4. इस समय, यह संकेत दिया जा सकता है कि यद्यपि अपीलकर्ता पर शीर्षक 21 यूएससी के तहत अन्य अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता था, अपीलकर्ता के खिलाफ अन्य आरोप हटा दिए गए थे क्योंकि उसने नियंत्रित पदार्थों को रखने की साजिश रचने के अपराध के लिए अपराध स्वीकृति के आधार पर दोषी ठहराया था।

5. 25 अप्रैल 2007 को अपीलार्थी के इस आवेदन पर कि- भारत में अपीलकर्ता के खिलाफ कार्यवाही दोहरे खतरे के बराबर होगी, विद्वान विशेष न्यायाधीश, मुंबई ने अपीलकर्ता के तर्क को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अपीलकर्ता के खिलाफ अमेरिका की जिला न्यायालय में उसके खिलाफ सजा सुनाते समय जो आरोप हटा दिये थे, उन पर संयुक्त राज्य अमेरिका मे कार्यवाही पर निपटारा नहीं किया गया। विशेष न्यायाधीश ने अपीलकर्ता की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी और बाद में 17 मई, 2007 को जमानत के लिए उसकी प्रार्थना खारिज कर दी।

6. इसके बाद अपीलकर्ता ने 11 जून, 2007 को बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और एनसीबी द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना की और दोहरे खतरे के आधार पर अंतरिम जमानत की भी प्रार्थना की। 13 सितंबर, 2007 को, एनसीबी द्वारा विशेष न्यायाधीश, मुंबई

की अदालत में अपीलकर्ता के खिलाफ एक शिकायत दायर की गई थी, जिसके खिलाफ अपीलकर्ता ने आपराधिक रिट याचिका संख्या 1038/2007 दायर की थी, जिसमें अन्य बातों के अलावा, उक्त शिकायत को रद्द करने की प्रार्थना की गई थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिट याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि जिन अपराधों के लिए अपीलकर्ता पर भारत में आरोप लगाए गए थे, वे उन अपराधों से पूरी तरह से अलग थे जिनके लिए उस पर अमेरिका में आरोप लगाया गया था और दंडित किया गया था। उच्च न्यायालय ने यह भी माना कि भारत में हशीश का अधिग्रहण और कब्ज़ा और नेपाल से भारत में इसका आयात और भारत से प्रतिबंधित पदार्थ का निर्यात, साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी बिक्री को विषय नहीं कहा जा सकता है। शीर्षक 21 यूएससी नियंत्रित पदार्थ अधिनियम की धारा 841 के साथ पठित धारा 846 के तहत किसी अपराध का मामला, न ही अपीलकर्ता पर संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसे किसी भी अपराध के संबंध में मुकदमा चलाया गया था। नतीजतन, भारत में उन सभी कृत्यों के लिए साजिश जिला न्यायालय, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में अभियोजन का विषय नहीं था। इसी प्रकार, विशेष न्यायाधीश, मुंबई, शीर्षक 21 यूएससी नियंत्रित पदार्थ अधिनियम की धारा 841 के साथ पठित धारा 846 के तहत अपराध से निपटने के लिए सक्षम नहीं थे, न ही न्यूयॉर्क में जिला न्यायालय कथित एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत प्रतिबद्ध किसी भी अपराध का संज्ञान लेने के लिए सक्षम था। उच्च

न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि केवल इसलिए कि तथ्यों का एक ही सेट भारत में एनडीपीएस अधिनियम के तहत और संयुक्त राज्य अमेरिका में इसके ड्रग कानूनों के तहत विभिन्न अपराधों को जन्म देता है, अलग-अलग परिस्थितियों में लागू कानून विशेष न्यायाधीश, मुंबई को उन मामलों से निपटने से नहीं रोकेंगे जो स्थानीय कानूनों के प्रावधानों को आकर्षित करते है और इसलिये वर्तमान मामले के तथ्यों में दोहरे खतरे के सिद्धांत का अनुप्रयोग उपलब्ध नहीं था।

7. यह वर्तमान अपील जो दायर की गयी है, वह उच्च न्यायालय द्वारा दोहरे खतरे की ऐसी याचिका की अस्वीकृति के खिलाफ है।

8. अपील के समर्थन में उपस्थित होते हुए, श्री के.टी.ऐस. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता तुलसी ने सबसे पहले तर्क किया कि भारत में अपीलकर्ता की अपील भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(2) के तहत और संहिता की धारा 300(1) के तहत इस आधार पर वर्जित है कि अपीलकर्ता पर पहले ही तथ्यों के एक ही सेट से उत्पन्न उसी अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा चुका है एवं उसे दोषी ठहराया जा चुका है। संदर्भ के लिए संविधान का अनुच्छेद 20(2) यहां दिया गया हैः

> "अनुच्छेद 20. अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षणः-

(1)----------

(2) किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और दंडित नहीं किया जाएगा;

(3)----------

इसी प्रकार, संहिता की धारा 300(1) भी दूसरे मुकदमे पर रोक लगाती है यदि व्यक्ति को दोषी ठहराया गया है या बरी कर दिया गया है और इसे नीचे भी प्रस्तुत किया गया हैः -

"300- एक बार दोषसिद्ध या दोषमुक्त किये गये व्यक्ति का उसी अपराध के लिये विचारण न किया जाना- (1)जिस व्यक्ति का किसी अपराध के लिये सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा एक बार विचारण किया जा चुका है और जो ऐसे अपराध के लिये दोषसिद्ध या दोषमुक्त किया जा चुका है, वह जब तक ऐसी दोषसिद्धि या दोषमुक्ति प्रवृत्त रहती है तब तक न तो उसी अपराध के लिये पुनः विचारण का भागी होगा और न उन्हीं तथ्यों पर किसी अन्य के अपराध के लिये विचारण का भागी होगा जिसके लिये उसके विरूद्ध लगाये गये आरोप से भिन्न आरोप धारा 221 की उपधारा

(1) के अधीन लगाया जा सकता था या जिसके लिये वह उसकी उपधारा (2) के अधीन दोषसिद्ध किया जा सकता है।"

9. तुलसी ने आग्रह किया कि संयुक्त राज्य जिला न्यायालय का निर्णय पहले ही कार्यवाही में दायर किया जा चुका है और इस अपील के रिकॉर्ड का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि इसमें भी कोई विवाद नहीं है कि अपीलकर्ता पर उन्हीं तथ्यों के आधार पर मुकदमा चलाने की मांग की जा रही है जिसके लिए उसे पहले ही अमेरिका की एक सक्षम अदालत द्वारा दोषी ठहराया जा चुका है और वह सजा काट चुका है। यह प्रस्तुत किया गया कि जिन अपराधों के लिए अपीलकर्ता पर अब भारत में आरोप लगाया जा रहा है, वे न केवल समान हैं बल्कि जिनके संबंध में यदि मुकदमा भारत में हुआ होता, सीऔरपीसी की धारा 221 के तहत आरोप लगाया जा सकता था।

श्री तुलसी ने आग्रह किया कि इस न्यायालय ने मकबूल हुसैन बनाम बॉम्बे राज्य (1953 एससीआर 730) के मामले में यह पाया कि संविधान के अनुच्छेद 20(2) के प्रावधानों की उन स्थितियों को कवर करने के लिए उदारतापूर्वक व्याख्या की जानी चाहिए, जिनका विशेष रूप से उसमें उल्लेख नहीं किया गया था। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि "अपराध" शब्द को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है और इसलिए, सामान्य खंड

अधिनियम की धारा 3(37) में बताई गई परिभाषा पर भरोसा करते हुए, इसका मतलब किसी भी कार्य या अपराध से समझा जाना चाहिए। जो कानूनन दंडनीय बना दिया गया है।

10. अपने पूर्वोक्त निवेदन पर विस्तार से बताते हुए, श्री तुलसी ने आग्रह किया कि अपीलकर्ता पर जिन अपराधों को करने का आरोप है, वे सभी एक निरंतर लेनदेन का हिस्सा थे और उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में परीक्षण के प्रयोजनों के लिए और फिर भारत में अलग से विभाजित नहीं किया जा सकता था। श्री तुलसी के अनुसार, शीर्षक 21 यूएससी नियंत्रित पदार्थ अधिनियम की धारा 846 के अलावा अन्य प्रावधानों के तहत अभियोजन संयुक्त राज्य अमेरिका में मुकदमा चलाने वाले प्राधिकारी के लिए भी उपलब्ध था, लेकिन उस पर आगे नहीं बढ़ा गया और इसलिए, इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। अभियोजन पक्ष द्वारा इसके तहत लगाए गए आरोपों को छोड़ दिया गया था और एक ही अपराध और/या अपराधों के लिए भारत में कोई अलग कार्यवाही नहीं हो सकती। इस संबंध में, श्री तुलसी ने उस पत्र का हवाला दिया जो 25 अप्रैल, 2007 को सहायक संयुक्त राज्य अटॉर्नी द्वारा मुंबई में अपीलकर्ता के विद्वान वकील को संबोधित किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि अपीलकर्ता संयुक्त राज्य अमेरिका में श्री निरंजन शाह से जुड़े ड्रग लेनदेन उनकी भूमिका के लिये मुकदमा चलाया गया था। यह भी संकेत दिया गया कि अपीलकर्ता

को ऑस्ट्रिया में गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्यर्पित किया गया था। इसके बाद सहायक अमेरिकी अटॉर्नी ने पाया कि उसकी गिरफ्तारी के समय अपीलकर्ता पर संयुक्त राज्य अमेरिका में नियंत्रित पदार्थों के आयात, संयुक्त राज्य अमेरिका में नियंत्रित पदार्थों के आयात का प्रयास करने, नियंत्रित पदार्थों के आयात में सहायता करने और बढ़ावा देने के लिए मुकदमा चलाया जा सकता था। संयुक्त राज्य अमेरिका में नियंत्रित पदार्थों को आयात करने की साजिश रच रहा है और उन्हें आगे वितरित करने के इरादे से नियंत्रित पदार्थों को अपने पास रखने की साजिश कर रहा है। हालाँकि, चूंकि अपीलकर्ता ने अपना दोष स्वीकार कर लिया था, उस पर नियंत्रित पदार्थ रखने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था, जिसके लिए उसे दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई और अन्य आरोप वास्तव में हटा दिए गए। अंत में यह देखा गया कि अपीलकर्ता एक अमेरिकी जेल में अपनी सजा काट चुका है और उसने समाज का पूरा कर्ज चुका दिया है और एक उपयोगी जीवन फिर से शुरू कर सकता है।

11. श्री तुलसी के अनुसार, जिन अपराधों के लिए अपीलकर्ता पर भारत में मुकदमा चलाया जा रहा था, वे मूलतः वही हैं जिनके लिए उस पर संयुक्त राज्य अमेरिका में पहले ही मुकदमा चलाया जा चुका था और उसे दोषी ठहराया गया था। श्री तुलसी ने आग्रह किया कि चूंकि भारत 16

दिसंबर, 1966 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाई गई नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय संविदा का हस्ताक्षरकर्ता था, इसलिए उसे उक्त संविदा के अनुच्छेद 14(7) का पालन करना होगा, जिसमें कानून का बल है। और इसे भारतीय न्यायालयों द्वारा ऐसी स्थिति में लागू किया जाना आवश्यक है जहां घरेलू कानून में इसके विपरीत कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है।

12. श्री तुलसी ने फिर आग्रह किया कि जहां तक भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(2) का संबंध है, यह यहीं तक सीमित नहीं है। राष्ट्रीय सीमाएँ जो भारत के भीतर इसकी प्रयोज्यता को प्रतिबंधित करने का प्रभाव डालेगी। उन्होंने कहा कि न तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 20(2) और न ही संहिता की धारा 300 सक्षम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर सीमित करती है। उपरोक्त प्रावधानों के संरक्षण को लागू करने की एकमात्र आवश्यकता यह है कि पहले का मुकदमा सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा विचारित किया जाना चाहिए था। श्री तुलसी ने आग्रह किया कि चूंकि संविधान स्वयं यह निर्धारित नहीं करता है कि मुकदमा चलाने वाला न्यायालय देश के भीतर स्थित होना चाहिए, इसलिए ऐसी बाधा को अनुच्छेद 20(2) में नहीं पढ़ा जाना चाहिए, जिसका प्रभाव संरक्षण के मूल उद्देश्य को विफल करना हो। मकबूल हुसैन (सुप्रा) में इस न्यायालय के फैसले के संबंध में अपनी दलीलें दोहराते हुए, श्री तुलसी

ने आग्रह किया कि जब तक पिछला अभियोजन एक ट्रिब्यूनल के समक्ष था, जो शपथ पर साक्ष्य के आधार पर न्यायिक रूप से ऐसे मामलों का फैसला करता है, जिसके लिए वह अधिकृत है कानून द्वारा अनुच्छेद 20 के खंड (2) की आवश्यकताओं को पूरा किया गया माना जाना चाहिए। इसके अलावा, एक बार जब यह पाया जाता है कि विदेशी न्यायालय के पास मामले पर वैध क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार था और वह सजा देने के लिए कानूनी रूप से सक्षम था, तो विदेशी न्यायालय के फैसले पर ध्यान देना होगा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 41 और 42 के प्रावधानों को संतुष्ट करना माना जाएगा।

13. श्री तुलसी ने आगे आग्रह किया कि दोहरे खतरे के सिद्धांत को लागू करने की एकमात्र शर्त यह है कि संबंधित व्यक्ति पर उसी अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया हो और दंडित किया गया हो। कोई अन्य घटक नहीं जोड़ा जा सकता है और चूंकि अमेरिकी जिला न्यायालय के फैसले से यह स्थापित होता है कि अपीलकर्ता पर उसी अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया था और दंडित किया गया था, इसलिए यह माना जाना चाहिए कि स्थिति अनुच्छेद 20 (2) संविधान में सन्निहित दोहरे खतरे के खिलाफ निषेध द्वारा कवर की गई है। भले ही ऐसा निर्णय किसी विदेशी न्यायालय द्वारा दिया गया हो।

14. इस संबंध में श्री तुलसी ने इस न्यायालय के निर्णय पी. के. उन्नी बनाम. निर्मला इंडस्ट्रीज एवं अन्य (1990(2) ऐससीसी 378), का हवाला दिया, जिसमें इस न्यायालय ने माना है कि भले ही किसी क़ानून में कोई दोष या कोई चूक हो, उच्च न्यायालय ऐसे दोष को ठीक नहीं कर सकता है या ऐसी चूक की कमी पूर्ति नहीं कर सकता है क्योंकि न्यायालय किसी क़ानून में शब्द नहीं जोड़ सकता है या उसमें ऐसे शब्द नहीं पढ़ सकता है जो वहाँ नहीं हैं, विशेषकर तब जब शाब्दिक पढ़ने से कोई बोधगम्य परिणाम प्राप्त होता है। इस न्यायालय ने यह भी देखा कि जहां क़ानून की भाषा अधिनियम के स्पष्ट उद्देश्य के संबंध में विरोधाभासों को प्रकट करती है, न्यायालय एक ऐसा निर्माण अपना सकता है जो विधायिका के स्पष्ट इरादे में सहायता करेगा और जैसा कि लॉर्ड डेनिंग ने कहा है, ऐसा करने में "एक न्यायाधीश को उस सामग्री को नहीं बदलना चाहिए जिससे अधिनियम बुना गया है, लेकिन वह सिलवटों को दूर कर सकता है और करना भी चाहिए।

15. श्री तुलसी ने सहायक कलेक्टर सीमा शुल्क एवं अन्य बनाम एल.और. मालवानी एवं अन्य. (1969 (2) एससीआर 438) के संविधान पीठ के फैसले का भी उल्लेख किया। जिसमें यह पाया गया कि ऑट्रेफॉइस दोषी या ऑट्रेफॉइस बरी का सिद्धांत, जो इसके संशोधन से पहले संहिता की धारा 403 में सन्निहित था, अब अनुच्छेद के लाभ के साथ संहिता की

धारा 300 के रूप में गिना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 20(2) एक आरोपी व्यक्ति को यह स्थापित करने के लिए उपलब्ध होगा कि उस पर किसी अपराध के लिए सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया गया था और उसे उस अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था या बरी कर दिया गया था और उक्त दोषसिद्धि या बरी लागू थी। इसके बाद संविधान पीठ ने कहा कि यदि इतना कुछ स्थापित हो जाता है, तो यह तर्क दिया जा सकता है कि न तो उसी अपराध के लिए उन पर दोबारा मुकदमा चलाया जा सकता है और न ही किसी अन्य अपराध के लिए समान तथ्यों के आधार पर, जिसके लिए लगाए गए आरोप से अलग आरोप लगाया गया। उसके खिलाफ बनाया गया होगा. इस बिंदु पर कुछ अन्य निर्णयों का भी श्री तुलसी द्वारा उल्लेख किया गया था, जो उक्त स्थिति को दोहराता है।

16. श्री तुलसी ने आग्रह किया कि राज्य की ओर से अपनाया गया रुख इस तथ्य के मद्देनजर वर्तमान मामले में संविधान के अनुच्छेद 20(2) को आकर्षित नहीं करता है कि अपीलकर्ता पर संयुक्त राज्य अमेरिका में एक अलग अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया था और उसे दोषी ठहराया गया था। और यह कि उन पर भारत में एक अलग मामले में मुकदमा चलाया जा रहा था, तथ्यात्मक रूप से गलत था और अभियोजन पक्ष के मामले के विपरीत भी था। श्री तुलसी के अनुसार, एनडीपीएस

अधिनियम की धारा 67 के तहत दर्ज किए गए सभी आरोपी व्यक्तियों के बयानों के साथ-साथ निरंजन शाह और अन्य और अपीलकर्ता के खिलाफ दायर आपराधिक शिकायतों को पढ़ने से इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि अपीलकर्ता इसमें शामिल हो गया है। तस्वीर या यूं कहें कि अपीलकर्ता को तस्वीर में तभी लाया गया जब खेप यूएसए पहुंच गई थी। यहां तक कि अभियोजन पक्ष द्वारा अपीलकर्ता को दी गई भूमिका यह थी कि सह-अभियुक्त निरंजन शाह ने उस खेप के लिए खरीदार ढूंढने के लिए अपीलकर्ता से संपर्क किया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यू जर्सी के एक परिवहन गोदाम में पड़ी थी। उन्होंने आग्रह किया कि 2007 की शिकायत संख्या 173 में जो अपीलकर्ता के खिलाफ शुरू की गई थी, यह आरोप लगाया गया था कि निरंजन शाह ने अपीलकर्ता से संपर्क किया था और उसे सूचित किया था कि उसमें छुपाए गए हशीश वाले अचार की एक खेप न्यू जर्सी के एक परिवहन गोदाम में पड़ी थी। न्यू जर्सी और अपीलकर्ता से इसके लिए खरीदार ढूंढने को कहा। यहां तक कि 9 अप्रैल, 2003 को एनडीपीएसे अधिनियम की धारा 67 के तहत निरंजन शाह द्वारा दिए गए बयान में, उन्होंने संकेत दिया था कि उन्हें किसी इरफान गज़ाली ने खेप के बारे में सूचित किया था और उसके बाद उन्होंने इसके लिए खरीदार ढूंढने के लिए अपीलकर्ता से संपर्क किया था।

17. श्री तुलसी ने इस नोट पर यह निष्कर्ष निकाला कि जिन तथ्यों पर अपीलकर्ता पर संयुक्त राज्य अमेरिका में मुकदमा चलाया गया था और अभियोजित किया गया था, वे वही हैं जिनके संबंध में उन पर अब भारत में मुकदमा चलाया जा रहा है, अनुच्छेद 20(2) के तहत संवैधानिक सुरक्षा। संहिता की धारा 300 के साथ पढ़ने पर यह स्पष्ट रूप से वर्तमान मामले के तथ्यों की ओर आकर्षित होता है और इसलिए, भारत में अपीलकर्ता के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही रद्द की जा सकती है।

18. दूसरी ओर, प्रतिवादी प्राधिकारियों की ओर से पेश होते हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री शेखर नफाडे ने प्रस्तुत किया कि धारा 29, 8(सी), 12, 20(बी)(पप)(सी) के तहत अपराधों की सामग्री और सजा, एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 23 और 24 शीर्षक 21 यूएससी नियंत्रित पदार्थ अधिनियम की धारा 846 और 841 के तहत विचार किए गए अपराधों से अलग थे। श्री नफाडे ने प्रस्तुत किया कि अमेरिकी अधिकारियों द्वारा उन पर लगाई गई सजा काटने के बाद, अपीलकर्ता को 9 अप्रैल, 2007 को भारत निर्वासित किया गया और मुंबई पहुंचने पर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद, उनके खिलाफ एनडीपीएसे अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत अभियोजन शुरू किया गया।

19. श्री नफाडे ने प्रस्तुत किया कि जिस अपराध के संबंध में अपीलकर्ता पर संयुक्त राज्य अमेरिका में मुकदमा चलाया गया और उसे

दोषी ठहराया गया, वह भारत में किए गए कथित अपराध से अलग था। जबकि अमेरिकी अदालतों ने अपीलकर्ता पर नियंत्रित पदार्थ वितरित करने के इरादे से साजिश रचने का मुकदमा चलाया और दंडित किया। अमेरिका में हशीश, अपीलकर्ता अमेरिका का नागरिक नहीं होने के कारण, भारतीय धरती पर अपीलकर्ता द्वारा कथित रूप से किए गए अपराधों के लिए अमेरिकी अदालतों द्वारा मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था। श्री नफाडे ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता के खिलाफ आरोपों में से एक यह है कि अपने सह-षड्यंत्रकारियों के साथ साजिश में, उसने नेपाल से भारत में हशीश का आयात किया, भारत में प्रतिबंधित सामग्री उसके कब्जे में थी और उक्त हशीश की बिक्री और निर्यात के लिए जिम्मेदार था। भारत से बाहर श्री नफाडे ने कहा कि ये अपराध भारतीय क्षेत्र के भीतर हुए हैं और अमेरिकी अदालतें इसके लिए उन पर मुकदमा नहीं चला सकतीं। श्री नफाडे ने आग्रह किया कि अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि अपीलकर्ता पर उसी अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा रहा है जिसके लिए उस पर संयुक्त राज्य अमेरिका में मुकदमा चलाया गया था और दोषी ठहराया गया था।

20. श्री नफाडे ने तर्क किया कि उपरोक्त के मद्देनजर, संविधान के अनुच्छेद 20(2) में निहित दोहरे खतरे का सिद्धांत या यहां तक कि संहिता की धारा 300 की रोक को अपीलकर्ता के मामले में लागू नहीं किया जा सकता है। श्री नफाडे ने प्रस्तुत किया कि संविधान का अनुच्छेद 20

नगरपालिका कानूनों के तहत किए गए अपराध पर विचार करता है, न कि किसी विदेशी देश के कानून के तहत विचारणीय किसी अपराध पर। इस संबंध में, रामभारती हीराभारती (एआइआर 1924 बॉम्बे 51) में बॉम्बे हाई कोर्ट के एक फैसले का संदर्भ दिया गया था जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि भारतीय अदालतें अभियुक्तों द्वारा किए गए उन अपराधों का संज्ञान नहीं ले सकती हैं, जो अभियुक्त द्वारा विदेशों मे विदेशी कानून के सम्बन्ध में किये हो।

21. श्री नफाडे का अगला तर्क यह था कि संहिता की धारा 2(एन) में अभिव्यक्ति "अपराध" की परिभाषा का अर्थ आवश्यक रूप से उस कानून के तहत अपराध होना चाहिए जो भारत के भीतर लागू है जैसा कि धारा 3(38) के तहत भी है। सामान्य खंड अधिनियम के श्री नफाडे के अनुसार, चूंकि अमेरिकी कानून के तहत कोई अपराध सामान्य खंड अधिनियम की धारा 3(38) के प्रयोजनों के लिए भारतीय कानून के तहत अपराध नहीं है, इसलिए संविधान के अनुच्छेद 20 में इस पर विचार नहीं किया गया था। उक्त प्रस्ताव को बाद के कई निर्णयों में समर्थन दिया गया है।

22. इस संबंध में, अंत में भारत के संविधान के अनुच्छेद 367, उप-धारा (1) का संदर्भ दिया गया, जो निम्नानुसार प्रदान करता है

> "367. व्याख्या- (1) जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, सामान्य खंड अधिनियम, 1897, अनुच्छेद 372 के

तहत किए जाने वाले किसी भी अनुकूलन और संशोधन के अधीन, इस संविधान की व्याख्या के लिए लागू होगा क्योंकि यह इसके लिए लागू होता है भारत डोमिनियन के किसी अधिनियम या विधायिका की व्याख्या।

(2).....

(3).....

श्री नफाडे ने आग्रह किया कि चूंकि "अपराध" शब्द को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन सामान्य खंड अधिनियम में, संविधान के अनुच्छेद 20 को अनुच्छेद में "भारत" शब्द को पढ़कर समझना होगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 3 और 4 का उल्लेख करते हुए, श्री नफाडे ने तर्क दिया कि उक्त प्रावधानों के तहत भी किसी व्यक्ति पर भारत से बाहर किए गए अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है, जिसके लिए उस पर भारतीय कानूनों के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।"

23. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा अपीलकर्ता के खिलाफ की गयी शिकायत का उल्लेख करते हुये श्री नफाडे ने प्रस्तुत किया कि उक्त प्रत्येक अपराध पर अलग से मुकदमा चलाया जा सकता है और अपराध के एक

भाग का मुकदमा संयुक्त राज्य अमेरिका में अपराध के एक हिस्से की सुनवाई ने बीच संघर्ष को जन्म दिया है। कानूनी यथार्थवाद और प्राकृतिक कानून के बीच संघर्ष का उदय। यह भी बताया गया कि एनडीपीएसे अधिनियम, 1985 पूरे भारत में लागू होता है और भारत के बाहर भारत के सभी नागरिकों पर भी लागू होता है। इसलिए, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में नियंत्रित पदार्थों को वितरित करने के इरादे से पेश किए जाने से संबंधित अपराधों के एक हिस्से के संबंध में अपीलकर्ता के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्रवाई की गई हो सकती है, लेनदेन के अन्य हिस्से जो भारत में उत्पन्न हुए थे, हो सकता है भारत में अलग से मुकदमा चलाया जाए जैसा कि इस मामले में किया जा रहा था। श्री नफाडे ने आग्रह किया कि प्रतिबंधित पदार्थ के भारत में प्रवेश और उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्यात से संबंधित विभिन्न अपराधों को देखते हुए, इसके विभिन्न हिस्सों पर संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत में भी अलग से मुकदमा चलाया जा सकता है और किसी भी स्थिति में, संयुक्त राज्य अमेरिका की अदालतों के पास कथित तौर पर भारतीय धरती पर किए गए अपराधों पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा और इसके विपरीत भी। यह प्रस्तुत किया गया कि उच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(2) और संहिता की धारा 300(1) के संबंध में अपीलकर्ता के तर्क को खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की है।

24. महाराष्ट्र राज्य की ओर से पेश हुए, श्रीमान रवींद्र केशवराव एडसुरे ने श्री नफाडे की दलीलों को अपनाया और कहा कि जिस अपराध के लिए अपीलकर्ता पर भारत में मुकदमा चलाया जा रहा था, वह एक अलग अपराध था जो उस अपराध से अलग था जिसके लिए अपीलकर्ता पर संयुक्त राज्य अमेरिका में मुकदमा चलाया गया था और उसे दोषी ठहराया गया था। श्री एडसुरे ने प्रस्तुत किया कि चूंकि एनडीपीएसे अधिनियम, 1985 के तहत विभिन्न अपराधों के लिए सजा, शीर्षक 21 यूएससी नियंत्रित पदार्थ अधिनियम के तहत विचार की गई सजाओं से पूरी तरह से अलग थी, दोहरे खतरे की दलील गलत थी और खारिज होने योग्य थी।

25. हमने संबंधित पक्षों की ओर से की गई दलीलों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और हम दोहरे खतरे के आधार पर एनसीबी द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को रद्द करने की अपीलकर्ता की प्रार्थना और इस आधार पर अंतरिम जमानत की प्रार्थना को खारिज करने वाले उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं।

26. हमारे विचार में अपीलकर्ता जिस अपराध के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में दोषी ठहराया गया था, वह उस अपराध से काफी भिन्न और अलग है जिसके लिए उस पर भारत में मुकदमा चलाया जा रहा है। जैसा कि श्री नफाडे ने बताया था, जिस अपराध के लिए अपीलकर्ता पर संयुक्त राज्य अमेरिका में मुकदमा चलाया गया था, वह उसे वितरित करने के

इरादे से नियंत्रित पदार्थ रखने की साजिश के आरोप के संबंध में था, जबकि अपीलकर्ता पर भारत में मुकदमा चलाया जा रहा है वह नेपाल से भारत में प्रतिबंधित वस्तु के आयात और उसे अमेरिका में बिक्री के लिए निर्यात करने से संबंधित अपराध के लिये। जबकि आरोपों का पहला भाग शीर्षक 21 यूएससी नियंत्रित पदार्थ अधिनियम की धारा 841 के साथ पठित धारा 846 के प्रावधानों को आकर्षित करेगा, बाद वाला भाग, एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत अपराध होने के कारण, विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए, भारत में विचारणीय और दंडनीय होगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 3 और 4 के प्रावधानों को सामान्य खण्ड अधिनियम की धारा 3(38) के साथ पढ़ा जाए, जिसे संविधान के अनुच्छेद 367 के आधार पर समान मामलों में लागू किया गया है। जिन अपराधों के लिए अपीलकर्ता पर संयुक्त राज्य अमेरिका में मुकदमा चलाया गया और उसे दोषी ठहराया गया और जिनके लिए अब भारत में उस पर मुकदमा चलाया जा रहा है, वे अलग और भिन्न हैं और इसलिए, संहिता की धारा 300(1) या अनुच्छेद 20 के प्रावधानों को आकर्षित नहीं करते हैं।

27. हम श्री तुलसी से सहमत होने में असमर्थ हैं कि उस अपराध के अलावा जिसके लिए अपीलकर्ता पर संयुक्त राज्य अमेरिका में मुकदमा चलाया गया था और उसे दोषी ठहराया गया था, उस पर उन अपराधों के लिए भी संयुक्त राज्य अमेरिका में मुकदमा चलाया जा सकता था जो

एनडीपीएसे अधिनियम, 1985 के तहत भी विचारणीय थे, क्योंकि इसकी सामग्री शीर्षक 21 यूएससी नियंत्रित पदार्थ अधिनियम के प्रावधानों से भिन्न है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर नियंत्रित पदार्थों के कब्जे और वितरण से संबंधित है। दूसरी ओर, हमारे विचार में, भारतीय दंड संहिता की धारा 3 और 4 के प्रावधान वर्तमान स्थिति जैसी स्थिति में उपयुक्त होंगे। संदर्भ के लिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 3 और 4 यहां नीचे दी गई हैं -

> "3. भारत से परे किये गये किन्तु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दण्ड-भारत से परे किये गये अपराध के लिये जो कोई व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, भारत से परे किये गये किसी कार्य के लिये उससे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा, मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया था।
>
> 4. राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार- इस संहिता के उपबंध-
>
> (1) भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा

(2) भारत मे रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर, चाहे वह कही भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा किये गये किसी अपराध को भी लागू है। "

28. उपरोक्त से यह स्पष्ट हो जाएगा कि भारत से बाहर किए गए किसी भी अपराध के लिए किसी भी भारतीय कानून के तहत मुकदमा चलाने वाले व्यक्ति पर संहिता के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारत के किसी भी नागरिक द्वारा भारत के भीतर और बाहर किसी भी स्थान पर किए गए किसी भी अपराध पर भी लागू होगे।

29. इस मामले को ध्यान में रखते हुए, हमें इस अपील में दिए गए उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है। तदनुसार अपील खारिज की जाती है।

बी.बी.बी.

अपील खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी गजपाल सिंह (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।